# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2000 एवं I.S.O.-14001-2004 प्रमाणित संस्था

## डिमांड नोट

पत्रांक : २12 /प्रवर्तन जोन–4/2014, दिनांक : 23/9/15

सेवा में,

श्री डी0डी0 मंगर, सचिव
(मैसर्स रक्षा विज्ञान कर्मचारी सहकारी आवास समिति लि0)
ग्राम–छजारसी, तहसील–लोनी, प्रताप विहार, एन.एच.–24,
इन्दिरापुरम, गाजियाबाद।

**विषयः** खसरा संख्या–519, 522, 523, 524 व 525/5, ग्राम–छजारसी, परगना–लोनी, तहसील–दादरी, जिला–गौतमबुद्धनगर पर निर्मित भवन के निर्माण के शमन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शमन हेतु आवेदन दिनांक 02.09.15 सहित शपथ पत्र दिनांक 02.09.15 के साथ प्रस्तुत शमन मानचित्र की स्वीकृति निम्न शुल्कों, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ सचिव महोदय द्वारा दिनांक 18.09.15 को प्रदान की गयी है :–

1- पूर्व स्वीकृत मानचित्र की समस्त शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

2- रेनवाटर हार्वेस्टिंग की नियमानुसार क्रियाशीलता स्थल पर सुनिश्चित करनी होगी।

3- भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी की सम्पूर्ण जिम्मेदारी पक्ष की होगी। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

4- स्वीकृत/शमनित इकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेंगे।

5- यदि त्रुटिवश कोई धनराशि अथवा विकास व्यय अवशेष रह जाता है, तो वह प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।

6- शपथ पत्र में वर्णित शर्तों का पालन करना होगा।

7- निर्मित भवनों के प्रयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा।

8- स्वीकृत शमन मानचित्र में स्वीकृत आच्छादन के अनुसार आवश्यक वृक्षारोपण सुनिश्चित करना होगा एवं प्रभावी उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट 2010 के समस्त प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

9- शमनित/अशमनित भवन का गुणवत्ता, मान्य तकनीकी मानकों, स्ट्रक्चरल डिजाईन आदि में कमी अथवा अन्य किसी दोष के कारण यदि भवन में अथवा भवन परिसर में कोई दुर्घटना होती है तो समस्त दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

10- भू–स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद की स्थिति में शमन मानचित्र स्वतः निरस्त मान्य होगा।

11- शमन मानचित्र में दर्शाये गये तथ्यों में से यदि कोई तथ्य असत्य पाया जाता है, तो उसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

12- विकास एवं निर्माण सम्बन्धी ऐसी अपेक्षाएं/प्राविधान जो इस उपविधि में नहीं है, के सम्बन्ध में नेशनल बिल्डिंग कोड तथा आई. एस./बी.आई.एस. के प्राविधानों का अनुपालन करना होगा।

13- लेबर सैस रु0 1,15,59,865.00 (रुपये एक करोड़ पंद्रह लाख उनसठ हजार आठ सौ पैंसठ) मात्र का ड्राफ्ट, UP Building and Others Construction Works Welfare Board के पक्ष में payable at Ghaziabad तैयार कराकर प्राधिकरण में प्रस्तुत करना होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार उल्लिखित शर्तों के साथ सहमति की दशा में कुल रु0 26,37,27,881.00 (रुपये छब्बीस करोड सैतीस लाख सताईस हजार आठ सौ इक्यासी) मात्र शमन शुल्क एवं शैल्टर फीस के मद में रु0 4,20,00,000.00 (रुपये चार करोड़ बीस लाख) मात्र एवं रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना हेतु जमानत धनराशि के रूप में रु0 2,00,000.00 (रुपये दो लाख) मात्र का एफ0डी0आर0 प्राधिकरण कार्यालय में एक माह के अन्दर जमा कराने का कष्ट करें। उसके बाद जमा कराने पर स्वीकृति के दिनांक 18.09.2015 से 19.75 प्रतिशत की दर से नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

23/9/15

(एस0एस0 वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता/प्रभारी प्रवर्तन जोन–4

पृष्ठांकन संख्याः / / दिनांक

प्रतिलिपि– सचिव महोदय को सूचनार्थ।

अधिशासी अभियन्ता/प्रभारी प्रवर्तन जोन–4